

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-01 / अ०प्र०-०१-९७/२०१४

७२

/ पटना, दिनांक:- १९.३.२०२०

वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 4685, दिनांक-25.06.2003 द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 एवं संकल्प सं० 7566, दिनांक-14.07.2010 द्वारा लागू बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के कर्मियों को वित्तीय उन्नयन का लाभ की स्वीकृति दिये जाने पर विचार के लिए स्क्रीनिंग कमिटी का गठन निम्न रूपेण किया जाता है :—


- | | |
|--|-----------|
| (1) अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग | — अध्यक्ष |
| (2) अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग | — सदस्य |
| (3) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव | — सदस्य |
| (4) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति के पदाधिकारी — सदस्य | — सदस्य |
| (5) आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार — सदस्य | — सदस्य |
| (6) अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में मो० नुरुल ऐन इशरत कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन-३, मुख्य अभियंता-४ का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग | — सदस्य |
2. अभियंता प्रमुख का पद रिक्त रहने पर समिति की बैठक की अध्यक्षता विभाग के अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा किया जायेगा।
3. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


१९३१/२०२०
(मनोज कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-०१ / अ०प्र०-०१-९७/२०१४ १८०२ / पटना, दिनांक:- १९.३.२०२०

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


१९३१/२०२०
सरकार के उप सचिव

मुख्यमंत्री 346

51

ज्ञापांक:-01 / अ0प्र0-01-97 / 2014 1802 / पटना, दिनांक:- 19.3.2020

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/अपर सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/मो० नुरुल ऐन इशरत, कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन-३, मुख्य अभियंता-४ का कार्यालय/ उप सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/अपर सचिव के आप्त सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.2020

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-01 / अ0प्र0-01-97 / 2014 1802 / पटना, दिनांक:- 19.3.2020

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.2020

ज्ञापांक:-01 / अ0प्र0-01-97 / 2014 1802 / पटना, दिनांक:- 19.3.2020

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.2020

५३